# राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश

## वर्ष 2014–15

राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन की योजना राज्य के किसानों को उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज उचित समय एवं सही मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधार बीज उत्पादित किया जाना है। परन्तु प्रजनक बीज के अनुपलब्धता की स्थिति में प्रमाणित बीज उत्पादन किया जाना है। प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन में चयनित फसलों के 10 वर्षो के भीतर के रिलीज प्रभेदों को प्राथमिकता दी जा रही है। धान के मध्यम अवधि के प्रभेदों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है, ताकि रबी की बुआई समय पर सुनिश्चित किया जा सके। दलहनी फसलों में अरहर, मूँग, उड़द, चना एवं मसूर पर बल दिया जाना अपेक्षित है, ताकि इन फसलों के बीजों की कमी को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त मडुआ, तोरिया एवं तिल बीज उत्पादन कार्यक्रम भी लिया गया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों के कत्तर्ब्य एवं दायित्व के साथ–साथ, निम्न निदेश दिये जाते है :–

1. वर्ष 2014–15 के खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीजोत्पादन हेतु निर्धारित प्रक्षेत्रवार / फसलवार बीज उत्पादन योजना संलग्न है। बीज की अनुपलब्धता या अन्य विशेष कारण से अगर निर्धारित फसल / प्रभेद में बदलाव की आवश्यकता हो, तो जिला कृषि पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर फसल / प्रभेद में बदलाव किया जायगा एवं परिर्वतन की सूचना अबिलम्ब कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. प्रजनक बीज की व्यवस्था के लिए जिला कृषि पदाधिकारी पटना, नोडल एजेंसी होगें। इसके लिए आवश्यक राशि बिहार, राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी उनसे सम्पर्क कर ससमय बीज का उठाव करेंगे।
3. कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। गरमा मौसम में बीज उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपादानों का क्रय यथा समय किया जायेगा। गरमा 2014–15 के फसलों के लिए एक अप्रैल 2014 के बाद किये गये कार्यो के लिए वर्तमान वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से योजना राशि का व्यय किया जायेगा। यदि गत वर्ष गरमा फसल के लिए अग्रिम राशि की निकासी की गई है तो समयावधि में ही डी0सी0 विपत्र समर्पित किया जायेगा। समयावधि के अन्दर राशि का

व्यय हो जाने तथा डी0सी0 विपत्र के जमा करने के बाद ही इस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि का व्यय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

4. प्रजनक बीज की व्यवस्था जिला कृषि पदाधिकारी, पटना करेंगे। सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी उनसे सम्पर्क कर ससमय बीज का उठाव सुनिश्चत करेंगे।

5. इस वर्ष बीजोत्पादन हेतु विभिन्न फसलों का प्रभेदवार उत्पादकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (सूची संलग्न) उत्पादकता के निर्धारित लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त किया जाय। निर्धारित लक्ष्य नही प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से अनुपातिक रूप में उत्पादन में कमी के अनुरूप राशि की वसूली की जायेगी।

6. बिहार राज्य बीज निगम को खरीफ का उत्पाद 15 जनवरी तक एवं रबी का उत्पाद 15 मई तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. धान एवं गेहूँ के बीज उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा SRI एवं SWI /जीरो टील तकनीक का प्रयोग किया जाय एवं पंक्ति में बोआई सुनिश्चित की जाय।

8. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बड़ी मात्रा में बीज अस्वीकृत कर दिये जाते है। जिन प्रक्षेत्रों का बीज अस्वीकृत होगा, उस प्रक्षेत्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा प्रक्षेत्र के प्रभारी पदाधिकारी इसके लिए दोषी समझे जायेंगे। पूरी तत्परता के साथ साफ–सफाई करते हुए निर्धारित गुणवत्ता के बीज निगम को भेजा जाय। इसके लिए यह आवश्यक होगा, कि फसल कटनी के पश्चात बीज को वैज्ञानिक तरीके से सुखाकर ही भंण्डारण एवं बोराबंन्दी की जाय।

9. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को एकीकृत रूप में पंजीयन एवं निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इनके निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण के संबंध में मौसमवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। निरीक्षकों से सुझाव निरीक्षण पंजी में अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए एवं उसका अनुपालन किया जाए।

10. बिहार राज्य बीज प्रमाणन–एजेन्सी में सभी प्रभेदों का निबन्धन निर्धारित समय पर निश्चित रूप से करा लें।

11. फसल जाँच कटनी का आयोजन समय से किया जाय। इसमें आने वाली बाधाओं को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दूर किया जाय। प्रमंडल स्तर से जाँच कटनी हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाय। मुख्यालय स्तर से प्राधिकृत जिला नोडल पदाधिकारी की उपस्थिति में भी कुछ प्रक्षेत्रों में फसल जाँच कटनी कराया जाय।

12. संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कृषि प्रक्षेत्रों का नियमित रूप से जाँच करें एवं निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। साथ ही अपना मन्तब्य प्रक्षेत्रों की निरीक्षण पंजी में भी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी अपने बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कराने हेतु पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे।

13. प्रत्येक माह प्रक्षेत्रों का निरीक्षण के अन्तर्गत अधिक से अधिक आच्छादित करने के लिये वरीय पदाधिकारियों का प्रतिमाह निरीक्षण लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित की गयी है :

| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम | प्रक्षेत्र निरीक्षण का लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1 | उप कृषि निदेशक, (प्रक्षेत्र) बिहार, पटना। | 6 |
| 2 | प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक | 6 |
| 3 | प्रमंडलीय उप कृषि निदेशक, (प्रक्षेत्र) | 12 |
| 4 | जिला कृषि पदाधिकारी | 4 |
| 5 | प्रमंडलीय उप कृषि निदेशक (पौ0सं0) | 8 |
| 6 | कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी | 8 |
| 7 | अनुमंडल कृषि पदाधिकारी | 12 |

प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक प्रत्येक माह उपर्युक्त पदाधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रक्षेत्रों का निरीक्षण उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा हो सके।

14. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी प्रक्षेत्रों के लिये ससमय उपादानों का क्रय कर प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. प्रक्षेत्र प्रभारी उपादानों के प्रक्षेत्र पर पहुँचने के तुरंत बाद संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक को सूचित कर उपादानो का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कृषि समन्वयक द्वारा भौतिक सत्यापन में विलम्ब की जाती है, तो इसकी सूचना अपने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में कृषि समन्वयक के अनुपस्थित रहने पर उपादानों का भौतिक सत्यापन संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

16. प्रक्षेत्र प्रभारी उपादानों के प्रयोग की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना अपने संबंधित कृषि समन्वयक को देगे तथा कृषि समन्वयक की उपस्थिति में उपादानों का प्रयोग किया जायेगा। कृषि समन्वयक ओडी पंजी में उपादान के प्रयोग यथा बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण दवा एवं डीजल आदि का ब्यौरा दर्ज करेंगे। संबंधित कृषि समन्वयक अपने उपस्थिति में ससमय उपादानों का प्रयोग कराने के लिये पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

17. उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र (प्रमंडल स्तंर) अपने कार्यक्षेत्र के अधीन के प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे। अपने अधीन सभी प्रक्षेत्रों का सभी फसल मौसम में निरीक्षण कम से कम दो बार निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रत्येक माह में न्यूनतम बारह प्रक्षेत्रों का निरीक्षण कर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

18. प्रक्षेत्रों पर पुआल, भूसा तथा अन्य प्राप्तियों की चालू वित्तीय वर्ष में ही 15 मार्च तक कोषागार में जमा कर दिया जाय। इस मद में राशि कोषागार में नही जमा करना वित्तीय अनियमितता है।

19. एक प्रक्षेत्र पर अगर बीज की अनुपलब्धता के कारण फसल के एक से ज्यादा प्रभेद के बीज लगाया जाता है, तो उस स्थिति में दोनों प्रभेदों के बीच आवश्यक दूरी (आइसोलेशन) अवश्य बनाये रखा जाय। यथा संभव एक ही फसल के दो प्रभेद लगाने की स्थिति से बचा जाय।

20. संतुलित उर्वरकों के उपयोग के साथ माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट का भी व्यवहार किया जाय। जिन प्रक्षेत्रों पर गेहूँ में दाना नही लगने की शिकायत हो वहाँ बोरॉन एवं मॉलीबडेनम का उपयोग किया जाय।

21. वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक खाद का उपयोग सुनिश्चत किया जाय।

22. यथासंभव ढैंचा/गर्मा मूँग हरी खाद का प्रयोग किया जाय। गर्मा मूँग की दो पिकिंग के बाद उसे धान की कादो के समय खेत में पलट दिया जाय।

23. उत्पादन लागत के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि की अधिसीमा (धान –27000/– प्रति हे0 तथा दलहन, तेलहन, मोटे अनाज–15000/– प्रति हे0) में ही खर्च किया जाय।

24. यदि आवश्यक हो तो जुताई, फसल कटाई एवं शष्य क्रियाओं पर व्यय कम से कम दर पर वास्तविक किराया भुगतान के आधार पर किया जाय। किराया का भुगतान

स्थानीय बाजार दर के अनुसार किया जाय। इसकी स्वीकृति जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र) प्रमण्डल स्तर से प्राप्त कर ली जाय।

25. प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन के लिए प्रति जिला प्रक्षेत्र 150000 रूपये एवं प्रति अन्य प्रक्षेत्रों 50000 रूपये की अग्रीम निकासी की जा सकती है, जिसका डी0सी0 विपत्र 1 माह के अन्दर/अगला निकासी के पूर्व जमा करेंगें।

26. सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाय। 15,000/– रू0 तक का क्रय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं कर सकते हैं। 1,00,000/– रू0 तक का क्रय तीन सदस्यीय समिति द्वारा बाजार के सर्वे के आधार पर किया जा सकता है। एक लाख से उपर की राशि का क्रय निविदा के आधार पर किया जाय।

27. प्रक्षेत्रों पर क्रय किये गये हार्वेस्टर, लेजर लेवलर एवं ट्रैक्टर का उपयोग आवंटित प्रक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य प्रक्षेत्रों पर भी किया जाय। बीजोत्पादन में सम्मिलित अन्य प्रक्षेत्रों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा माँग किये जाने पर उन्हें इन यंत्रों को उपलब्ध कराया जाय। इन यंत्रों का लॉग बुक संधारण किया जाना है। जिन यंत्रों में डीजल की खपत होती है उसका लॉग बुक भी संधारित किया जाय।

28. आकस्मिक राशि का उपयोग पुराने यंत्रों की मरम्मती/क्रय /आधारभूत संरचनाओं के रख–रखाव एवं अन्य आकस्मिक व्यय के रूप में किया जा सकता है।

29. क्रय किये गये यंत्रों पर ईंधन एवं रख–रखाव पर व्यय उत्पादन लागत के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से किया जाय।

30. हार्वेस्टर के ऑपरेटर के पारिश्रमिक पर व्यय भी उत्पादन लागत के लिए उपलब्ध राशि से किया जाय।

31. जिस प्रक्षेत्र पर इन यंत्रों का उपयोग होगा, व्यय भी उन्हीं प्रक्षेत्रों की राशि से की जाय।

32. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सिंचाई श्रोत के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से बड़े व्यास के बोरिंग (6"X4") का निर्माण कराया जाय। जहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, उसका विद्युतीकरण कराया जाय।

33. गोदाम एवं बारबेड फेंसिंग निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजा जाए।